कार्यालय, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड

–विज्ञप्ति–

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों हेतु निवर्तमान सदस्यों के स्थान पर नवीन सदस्यों का चयन किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/चिकित्सा विशेषज्ञों/सामाजिक कार्यकर्ताओं से जीवनवृत (बायोडाटा) आंमत्रित किये जा रहे हैं–

अधिनियमानुसार समिति के सदस्यों का चयन निम्न सेवा शर्तो के अधीन किया जायेगा

- कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा यदि वह, किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध और कारावास से दंण्डित किया गया है जिसमें यथास्थिति राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या दिवालिया हो, विकृतचित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्राधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में वित्तीय या अन्य हित रखता हो जिससे समिति के रूप, में उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पडना संभव हो, या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में लिंग निर्धारण के लिये प्रसवपूर्व निदान तकनीक के प्रयोग या प्रोन्नति से सम्बद्ध रहा हो।
- प्रत्येक सदस्य उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होगा।
- समिति का सदस्य, यथास्थिति राज्य सरकार के प्रसाद रूपी पद धारण करेगा।
- प्रत्येक सदस्य का चयन अधिकतम् 03 वर्षो के लिये किया जायेगा।
- समिति से सेवा निवृत होने वाला कोई सदस्य जिसकी पदावधि समाप्त हो गयी हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- यदि किसी समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति किसी सदस्य के पदत्याग, मृत्यु स्थानान्तरण या उसे सेवा से हटाये जाने के कारण या अन्यथा होती है तो ऐसी रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है पदावधि तक के लिये पद धारण करेगा।
- यथास्थिति, राज्य सरकार समिति के किसी सदस्य को, उसका सेवाकाल समाप्त होने से पहले, हटा सकेगी।

उपरोक्त समितियों के गठन हेतु सदस्यों के नाम जीवनवृत (बायोडाटा) सहित आंमत्रित किये जा रहे हैं आवेदन, विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवसों के भीतर कार्यालय निदेशक (रा0का0) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरखण्ड डाण्डा लाखौण्ड पो0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून के पते पर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन किया जा सकता है।